***सरकार बनाम बाबू वगैराह रेफरेन्स प्रकरण संख्या 03/2014***

09.10.2018 पक्षकारान के वकील उपस्थित। प्रकरण में धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अवलोकन किया गया। धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अनुसार रेफरेन्स प्रकरण का परीक्षण हेतु मूल पत्रावली राजस्व अनुभाग कार्यालय हाजा को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में परीक्षण करे और बाद परीक्षण प्रकरण माननीय राजस्व मंडल अजमेर को रेफरेन्स हेतु अभिशंषित करने की कार्यवाही करे। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सही–
जिला कलेक्टर
जालोर